राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010/पार्ट–।

जयपुर दिनांकः 08 OCT 2013

कार्यालय–आदेश

महात्मा गांधी नरेगा योजना के संचालन हेतु पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17(ई) ग्राविप/प्रशा.2/बी.एफ.सी./09–10/2702 दिनांक 17.09.2013 द्वारा विभिन्न संवर्गो में 27033 पद सृजित किये गये है। इन पदों के विरूद्ध जैसे–जैसे नियमित नियुक्ति होने पर इन कार्मिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जावेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रति वर्ष श्रम एवं सामग्री मद में होने वाले व्यय की 6 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रीय मद से अनुमत है। इसके अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन के संबंध में राज्य (राज्य रोजगार गारंटी परिषद), जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्त/संविदा पर पदस्थापित कार्मिकों का वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों पर व्यय किया जाता है।

वित्त (व्यय–5) विभाग की अन्तर्विभागीय (आई.डी.) संख्या 121300190 दिनांक 25.09.2013 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिनियुक्त कार्मिकों सहित संविदा कार्मिकों के संवेतन मद (वेतन/मानदेय) पर प्रशासनिक व्यय (6 प्रतिशत) से कम से कम 4 प्रतिशत व्यय वेतन/मानदेय पर सुनिश्चित किया जायेगा तथा वेतन भत्तों के लिए वांछित आधिक्य राशि (4 प्रतिशत से अधिक) राज्य मद से उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रशासनिक व्यय मद के अन्तर्गत अवशेष 2 प्रतिशत राशि (वेतन–भत्तों पर भारित 4 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त) में से 1.25 प्रतिशत तक राशि जिला स्तर पर (ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत सहित) एवं 0.75 प्रतिशत राशि राज्य स्तर (राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद) द्वारा अन्य विभिन्न मदो (वेतन एवं भत्तों को छोड़कर) पर व्यय की जावेगी।

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)/(लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
5. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस/वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस